4/3/24 अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी T.D.R. Suit एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत जवाब पेश नहीं करना चाहते से बन्द किया जाता है। तहसीलदार सोजत ने अनुपस्थिति रिपोर्ट पेश की सा. मि. है। पक्ष अधिवक्ता प्रार्थी एवं T.D.R. Suit सुनी गई। प्रकरण संक्षेप रूप से इस प्रकार है:- अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. रा. अधिनियम 1956 के तहत पेश कर प्रार्थी की खातेदारी ग्राम मोजा लाखावास के ख.नं. 364 रकबा 2.0200 हैक्टर कृषि भूमि में गुरिवश अंकित नाम शिवनाथ पुत्र ओखा को दुरुस्त कर शिवराम पुत्र ओकाराम इन्द्राज किये जाने की दरखास्त की है। प्रार्थी ने साक्ष्य स्वरूप आधार कार्ड, व राशनकार्ड की प्रति पेश की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र का अध्ययन कर तथ्य वक्तव्य पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थी के लोक दस्तावेज में नाम शिवराम पुत्र ओकाराम अंकित है। तहसीलदार सोजत के भी नाम दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। एक अतिरिक्त समान जनक नाम राजस्व रिकार्ड में किया जाना भी न्यायोचित है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 136 L.R. Act 1956 को स्वीकार किया जाता है। मोजा लाखावास के खसरा नम्बर 364 की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में अंकित नाम शिवनाथ पुत्र ओखा के स्थान पर शिवराम पुत्र ओकाराम इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें। निर्णय की प्रति पक्षकारान को जावे। पत्रावली बाद वालना क्रमांक शुमार रजिस्टर नम्बर रे किया है।

(कुसुमलता चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

निर्णय मेरे द्वारा आज 4/3/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी सोजत (राज.)